Cash/Instruct

विषयः— सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नगदी शाखा में राशि जमा करवाने बारे ।

क्या सचिवालय के सभी राज्य जन सूचना अधिकारी तथा शाखा अधीक्षक उपरोक्त विषय की और ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतू सचिवालय की विभिन्न शाखाओं व सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा जो राशि, नगद रूप में, डिमांड ड्राफट अथवा पोस्टल आर्डर द्वारा नगदी शाखा में जमा करवाई जाती है, वह सुबह से लेकर शाम 5.00 बजे तक भेजी जाती रहती है । क्योंकि कैश बुक प्रतिदिन बाद दोपहर लिखी जाती है, इसलिए बाद दोपहर जमा कराई जाने वाली राशि उस दिन की कैशबुक में ली जानी मुश्किल होती है ।

3. अतः सचिवालय के सभी राज्य जन सूचना अधिकारी तथा सचिवालय के सभी शाखा अधीक्षक/इंचार्ज से अनुरोध है कि वे उपरोक्त फीस नगदी शाखा में जमा करवाने के लिए, प्रत्येक कार्यालय दिवस में केवल प्रातः 10.00 बजे से सांय 2.30 बजे तक ही भेजें । इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रार्थी को फीस जमा करवाने के बारे में लिखा जाए तो उसे भी सचिवालय की नगदी शाखा में उपरोक्त समयानुसार फीस जमा करवाने के लिए कहें तथा सभी फीस नगद रूप में हो, यदि फीस पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफट के रूप में हो तो वह अवर सचिव (सामान्य) हरियाणा सरकार (Under Secretary (General) to Govt. Haryana) के नाम हो ।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव (सामान्य)
हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी राज्य जन सूचना अधिकारी तथा शाखा अधीक्षक/इंचार्ज ।

अशाःक0 2/नगदी स्पैशल/2008 दिनांक 10-4-2008